IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ग्रामीण साख निर्माण में जिला सहकारी बैंक के योगदान का अध्ययन

(खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में)

* जेनुलउद्दीन शेख जिलानी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन

शोध सारांश :– खरगोन जिले में जिला सहकारी बैंक द्वारा प्रदान की गयी साख सुविधाओं से लाभांवित कृषक परिवारों की आय में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। कृषकों की आय में वृद्धि से उनके निवेश में वृद्धि, आवासीय स्थिति में सुधार, शिक्षा के स्तर में वृद्धि तथा संचार एवं मनोरंजन के साधनों का अधिक उपयोग हो रहा है। अतः ज्ञातव्य है कि संस्थागत साख प्रदाता जिला सहकारी बैंक साख सुविधा से कृषकों का जीवन स्तर एवं जीवन की दशाएं संस्थागत साख से अलाभान्वित की अपेक्षा श्रेष्ठ है।

शब्द कुंजी :– सहकारिता, ग्रामीण विकास, कृषक

स्वतंत्रता उपरांत सुगमता से वित्त संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हो इस उद्देश्य को लेकर बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वतंत्र भारत के दो दशकों के दौरान भारतीय बैंकिंग ने कार्यात्मक रूप से एवं भौगोलिक परिवेश से महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन विकास की दृष्टि से यह प्रगति असंतोषजनक थी। इसका मुख्य कारण स्वतंत्रता के दो दशक व्यतित होने जाने के बाद भी समाज का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्र निवासी बैंकिंग सुविधा के लाभ से वंचित थे। बैंकिंग सेवाओं का लाभ शहरी क्षेंत्रों को पर्याप्त मिल रहा था वहीं ग्रामीणों क्षेंत्रों की उपेक्षा की जा रही थी। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन बैंकों की स्थापना तो हुई किन्तु ग्रामीणों की वित्तीय आवश्यकता की संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। परिणामस्वरूप ग्रामीणों क्षेत्रों में साहूकारी ऋण अदायगी प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी निरन्तर हस्तांतरित होती जा रही थी। वृहत स्तर के उद्योगों को हर प्रकार की वित्तीय सुविधा प्राप्त हो रही थी किन्तु लघु, कुटीर एवं कृषि आधारित उद्योग को नजरअंदाज किया जा रहा था।

ग्रामीण क्षेत्र में व्यापत साहूकारी ऋण व्यवस्था की इस समस्या के समाधान स्वरूप भारत में सहकारिता की भावना का विकास हुआ। सहकारिता के इस बढ़ते कदम के परिणामस्वरूप राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक एवं ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां स्थापित की गई। कृषकों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की समुचित व्यवस्था करना एवं ग्रामीण आर्थिक विकास की प्रगति हेतु लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण दस्तकार, कारीगर, ग्रामीण अंचल में निवासरत् कमजोर एवं पिछड़े वर्ग का विकास करके बचत को प्रोत्साहित करना इत्यादि उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा सहकारी बैकों की स्थापना की गई।

प्रस्तुत शोध अध्ययन क्षेत्र 1 नवंबर 1956 को गठित मध्यप्रदेश राज्य के अस्तित्व में आने के साथ खरगोन जिले को ''पश्चिम निमाड़'' के रूप में पहचान प्राप्त हुई। प्रशासनिक सर्जरी व स्थानीय लोगों की मांग के अनुरूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा 25 मई 1998 को ''पश्चिम निमाड़'' को खरगोन एवं बड़वानी दो जिलों में विभक्त किया गया। वर्तमान में विद्यमान खरगोन जिला पश्चिम निमाड़ जिले का अभिन्न अंग है। 1 नवम्बर 1956 को गठित इन्दौर संभाग के खरगोन जिले में 7 तहसीलें है। इस जिले के प्रत्येक गांव एवं नगर प्राचीन इतिहास की धरोहर है वहीं कई गाथाओं, कविताओं तथा आस्थाओं को दैदीप्यमान करने वाले है।

जिले में सेवारत जिला सहकारी बैंक के क्रियान्वयन से कृषि संबंधी वित्तीय समस्याओं का सुधार हुआ। कृषक वर्ग को कृषि कार्य के लिए समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा आदर्श किसान क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन नाबार्ड बैंक के निर्देशानुसार अग्रणी बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान अग्रणी बैंक निर्देशित बैंक लिंकेज स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर पर आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान कर कृषि व्यवसाय को लाभकारी व्यवसाय में परिवर्तित करने हेतु प्रयासरत् है।

नाबार्ड बैंक के निर्देशानुसार जिले में विद्यमान बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कृषि कार्य के अतिरिक्त मत्सय पालन, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मुर्गी पालन इत्यादि के लिए भी ऋण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में केसीसी योजना को ओर अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए जिले की बैंकों द्वारा कृषक वर्ग को इलेक्ट्रानिक किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ –साथ कृषकों की आय में आशातीत वृद्धि हुई है। शोध अध्ययन क्षेत्र में कुटीर एवं लघु उद्योग के माध्यम से रोजगार का वितरण क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को वर्णित कर रहा है। इस प्रकार जिला सहकारी बैंक द्वारा क्रियान्वित योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ओर अधिक विकासोन्मुखी बनाया जा सकता है।

विकासशील भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार द्वारा परिवार नियोजन से लेकर व्यवहारिक शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करते हुए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान कर नवयुवक वर्ग को स्वावलंबी बनने पर बल प्रदान कर रही है। सेवा क्षेत्र को वर्तमान में सबसे तेज उभरते औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत् नवयुवकों को नये उद्यम की स्थापना करने तथा न्यूनतम दर पर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार संचालित एवं शोध अध्ययन क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक द्वारा अनेक रोजगारमुखी योजना एवं बैंक लिंकेज स्वयं सहायता समूह से अनेक बेरोजगार युवाओं को रोजगार की प्राप्ति हो रही है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित एवं जिले की अग्रणी बैंक निर्देशित ऋण वितरण संबंधी योजना के विश्लेषणात्मक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रेषित प्रकरण में वृद्धि, प्रेषित प्रकरण की अविलम्ब स्वीकृति एवं वितरण कार्यप्रणाली संतोषप्रद है।

आर्थिक विकास की आधारशीला प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंग जैसे कृषि क्षेत्र में कृषि एवं कृषि आधारित कार्य, लघु उद्योग क्षेत्र में लघु व कुटीर उद्योग और अन्य स्वरोजगार हेतु ऋण वितरण संबंधी लक्ष्य निर्धारण को पूर्ण करने में जिला सहकारी बैंक अपनी महती भूमिका अदा कर रही है। जिले में कार्यरत् जिला सहकारी बैंक की 23 शाखाओं से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु संचालित ऋण योजनाओं के लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धियों में भी वृद्धि हुए है।

दो से तीन दशक पूर्व भारतीय कृषक के लिए यह धारणा प्रचलित थी कि ''भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीता है और ऋण में ही मर जाता है।'' वर्तमान परिपेक्ष में इस कथन का अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। बैंक द्वारा प्रदत्त किसान क्रेडिट कार्ड कृषि ऋण सुविधा से लाभांवित कृषक परिवारों के लिए ऋण लेना अब मजबूरी कम व विकास की महत्वाकांक्षा अधिक हो गई है। बैंक द्वारा न्यूनतम दर पर ऋण प्रदायगी से कृषक वर्ग की ऋण अदायगी क्षमता बढ़ रही है। कृषक वर्ग द्वारा ऋण राशि का उपयोग विवाह समारोह, मृत्यु भोज, मान संस्कार जैसे अनुत्पादक व्यय के स्थान पर अपनी जीवन दशाओं के उन्नत करने और कृषि के विकास में कर रहे है। निर्धारित समय पर ऋण अदायगी से कृषकों की जिला सहकारी बैकों में स्थाई साख बन रही है।

जिले में केसीसी ऋण सुविधा से लाभांवित कृषकों की आर्थिक सुदृढ़ता में वृद्धि हुई है। आर्थिक उन्नति से उनके जीवन स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन प्रदर्शित हो रहा है। लाभांवित कृषक वर्ग द्वारा कृषि कार्य में उन्नत एवं प्रमाणित बीज, संतुलित रासायनिक उवर्रक, जैविक खाद व आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग आदि उपायों से उपज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। वर्तमान में कृषक सिंचाई के उपलब्ध पर्याप्त साधनों की सहायता से एक वर्ष में दो या दो से अधिक उपज प्राप्त कर रहे है। कृषि कार्य के अतिरिक्त कृषक वर्ग अनिवार्य आवश्यकता के साथ आरामदायक आवश्यकता की संतुष्टि हेतु व्यय की

राशि में वृद्धि हो रही है। जहाँ कच्ची दीवार व कवेलु की छत गाँवों की पहचान हुआ करती थी। वहाँ अब पक्के मकान निर्मित हो रहे है।

कृषकों द्वारा परिवहन के साधनों के रूप में ट्रैक्टर व आवागमन के साधनों में मोटर साइकिल, कार, जीप आदि का उपयोग किया जा रहा है। मनोरंजन के साधनों में टेलीविजन व संचार के साधनों में मोबाइल, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। कृषक वर्ग रूढ़िवादिताओं को त्याग कर आधुनिक संस्कृति को अपनाने के लिए प्रयासरत् है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। कृषक अपने बालक – बालिकाओं को उच्च शिक्षित बनाने के लिए निकटतम शहर में अध्ययन हेतु नियमित भेज रहे है। वहीं शहर से उच्च शिक्षा प्राप्त कृषक आधुनिक व हाइटेक संसाधनों का उपयोग कर कृषि सेवा कार्य को लाभ का व्यवसाय बनाने में प्रयत्नशील है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि संस्थागत स्त्रोत से प्राप्त कृषि सुविधा से लाभांवित कृषक परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है जबकि अन्य असंस्थागत स्त्रोत से प्राप्त कृषि ऋण सुविधा से लाभांवित अर्थात साहूकारी ऋण सुविधा से लाभांवित कृषक परिवारों का जीवन स्तर अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है।

साहूकारी जैसे अन्य असंस्थागत स्त्रोत से ग्रस्त कृषक वर्ग की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई विकास कार्यक्रम आयोजित किये किन्तु जागरूकता के अभाव में अधिकांश कृषक लाभ लेने से वंचित रह गए। वर्तमान में नितांत आवश्यकता है कि कृषि कार्य पर निर्भरता कम कर पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, फल उद्यानिकी इत्यादि का विकास किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, गैर सरकारी संगठन, सहकारी समितियों को चाहिए कि वह समय – समय पर ग्रामीण क्षेत्र में कृषक विचार गोष्ठी, कृषि कल्याण कार्यक्रम, कृषि जागरूकता कार्यक्रम आदि को आयोजन कर केन्द्र सरकार द्वारा कृषि कार्य हेतु संचालित ऋण योजनाओं की जानकारी प्रदान करे।

अंत में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, उद्योग एवं सेवा कार्य में अपार संभावनाएँ है व यह कुशल श्रम को रोजगार प्रदान करने के लिए कटुबद्ध है। भारत के विशेष संदर्भ में कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र का भविष्य स्वर्णिम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. औझा बी. एल. : ''बैंकिंग विधि एवं व्यवहार'' 2010
   रमेश बुक डिपो, जयपुर
2. डॉ. व्ही. के मिश्रा : ''वित्तीय बाचार परिचायन'' 2010
   रमेश बुक डिपो, जयपुर
3. भारती डॉ. आर.के. एवं : ''भारतीय अर्थशास्त्र'' (स्वतंत्रता के पश्चात्)
   पाण्डेय के.सी. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
4. अग्रवाल अनुपम : ''औद्योगिक अर्थशास्त्र'' 2010,
   साहित्य भवन, आगरा
5. डॉ. ममोरिया एवं : ''भारत की आर्थिक समस्याएँ'' 1988,
   जैन साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा